Drug Round VII- Prebid Meeting की कार्यवाही

निविदा में प्रकाशन के अनुसार निर्धारित तिथि दिनांक 14.10.09 को 11 बजे पूर्वाह्न में श्री रवि परमार, भा०प्र०से०, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अध्यक्षता में Drug Round-VII निविदा हेतु इच्छुक निविदादाताओं के साथ Prebid Meeting आयोजित हुई, जिसमें डॉ० डी० के० रमण, अपर कार्यपालक निदेशक, श्री हेमन्त कुमार सिन्हा, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (प्रतिनियुक्त) एवं श्री प्रदीप कुमार, औषधि निरीक्षक (प्रतिनियुक्त),औषधि नियंत्रण प्रशासन उपस्थित हुये। कुल 43 कंपनीयों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसकी उपस्थिति ले ली गयी है। बैठक में उपस्थित इच्छुक निविदाताओं द्वारा निविदा संबंधी जिन बिन्दुओं को उठाया गया एवं उस बिन्दु पर लिये गये निर्णय निम्न है :-

1. एक औषधि आयातकर्ता कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि आयातित औषधियों के लिए Market Standing Certificate Licensing Authority द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है। वैसे परिस्थिति में उनके द्वारा निविदा में कौन सा अभिलेख/कागजात समर्पित किया जायेगा।

   इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि अगर Licensing Authority द्वारा Market Standing Certificate आयातित औषधियों के लिए प्रदत नहीं किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में Market Standing Format के साथ तीन वर्ष पूर्व के Sale Invoice की Charted Accountant द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

2. बहुत सारे कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी के वार्षिक टर्न ओभर Category A के लिए चालीस करोड़ रूपये से कम करने का अनुरोध किया गया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। पुनः कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा यह अनुरोध किया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग चालीस करोड़ रूपये वार्षिक टर्न ओवर के स्थान पर Category A के लिए कंपनी का विगत तीन वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ओवर चालीस करोड़ रूपये कर दिया जाये ।

   उपरोक्त के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कंपनी के उपरोक्त अनुरोध को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि विगत तीन वित्तीय वर्षो के दौरान कंपनी का वार्षिक टर्न ओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में पच्चीस करोड रूपये से कम नहीं होना चाहिए एवं विगत तीन वर्षो के दौरान उनका औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम चालीस करोड़ रूपये होना चाहिए। उपरोक्त के अनुसार ही Category B, C एवं D के लिए भी वार्षिक टर्न ओवर के शर्त इस सीमा तक संशोधित माने जायेगें कि Category B, के लिए विगत तीन वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम दस करोड़ रूपये होना चाहिए एवं किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्न ओवर पॉच करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार Category C एवं D में कंपनी का विगत तीन वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 2.5 करोड़ रूपये होना चाहिए एवं किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्न ओवर एक करोड रूपये से कम नहीं होना चाहिए।

3. एक निविदादाता द्वारा निविदा के शर्तो के कंडिका (r) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह बताया गया कि उन्हें विगत वर्ष में औषधियों का क्रयादेश कुल लगभग एक लाख रूपये का ही प्राप्त हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए अपना Go-down cum Store अलग से यहॉ खोलना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। अतः कंपनी के Go-down cum Store संबंधी बाध्यता को समाप्त किया जाये।

   इस संबंध में निर्णय लिया गया कि जिन कंपनियों को पॉच लाख रूपये से कम का क्रयादेश प्राप्त होगा उन्हें राज्य में कंपनी का Go-down cum store अनिवार्य रूप से खोले जाने की बाध्यता नहीं होगी परन्तु ऐसी परिस्थिति में उन्हें Performance Security Money, Estimated Purchase Order Value के 20 प्रतिशत की दर से जमा करना होगा। जिन कंपनियों का Go-down cum Store इस राज्य में अवस्थित होगा उन्हें निविदा के शर्तो में उल्लेखित अनुसार ही Performance Security Money जमा करना होगा। Purchase Value की समीक्षा प्रत्येक छः माह पर की जायेगी।

प्रदीप कुमार औषधि निरीक्षक औषधि नियंत्रण प्रशासन	हेमन्त कुमार सिन्हा अनुज्ञापन प्राधिकारी औषधि नियंत्रण प्रशासन	डॉ० डी० के० रमण अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	रवि परमार, भा०प्र०से० कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

4. M/s Karnataka Antibiotic के प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार के उपक्रम को दवा क्रय में प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि अगर भारत सरकार का उपक्रम L1 नहीं पाये जाने के पश्चात निविदा में घोषित L1 कंपनी के दर पर औषधियों की आपूर्ति करने को तैयार होगी तो वैसी स्थिति में उन्हें संयुक्त रूप से L1 घोषित किया जा सकेगा।

5. एक इच्छुक निविदादाता द्वारा Non Conviction Certificate के संबंध में यह पृच्छा की गयी कि कितने माह पूर्व निर्गत किये गये Non Conviction Certificate मान्य होगें।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि Non Conviction Certificate छः माह के अंदर का ही निर्गत होना चाहिए।

6. एक निविदादाता द्वारा निविदा के साथ समर्पित किये जाने वाले EMD Fixed Deposit के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में यह संभव नहीं है।

7. एक निविदादाता द्वारा Category A के क्रमांक 17 पर अंकित औषधि के Specification अंकित नहीं रहने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि Category A के क्रमांक 17, 41,42,335 एवं 338 में Specification अंकित कर दिया गया है एवं यह बेबसाइट पर देखा जा सकता है।

8. कुछ निविदादाताओ द्वारा Category-B & C के कुछ औषधियों पर भी उनका Specification अंकित नहीं रहने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि सभी औषधियों का Specification अंकित कर दिया गया है जिसे बेबसाइट पर देखा जा सकता है।

9. एक निविदादाता द्वारा बताया गया कि Category A के क्रमांक 195 पर औषधि का Brand Name अंकित है।

उन्हे बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। Category C के Product List में भी कुछ औषधियों का Brand Name अंकित हो गया था जिसे भी अब संशोधित कर उनका Generic नाम अंकित कर दिया गया है एवं इसे बेबसाइट पर देखा जा सकता है।

10. एक निविदादाता द्वारा यह पृच्छा की गयी कि आपूरित की जाने वाली औषधियों पर उसका MRP अंकित किया जाना है अथवा नहीं।

इस संबंध में उन्हें बताया गया कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी आपूरित की जाने वाली औषधि पर उसका MRP अंकित नहीं होगा।

11. एक निविदादाता द्वारा यह बताया गया कि Category C में क्रमांक 2, 8, 9 एवं 10 पर अंकित औषधियों का Rate Contract पूर्व के Drug Tender Round VI में किया जाना है। अतः इसके लिए फिर से Round VII में निविदा आमंत्रित किया जाना उचित नहीं होगा।

इस संबंध में कार्यालय अभिलेख से आवश्यक सत्यापन किया गया एवं तदोपरांत उक्त क्रमांक एवं Category-D के क्रमांक 16 पर उल्लेखित औषधियों को Drug Tender Round VII की औषधियों की सूची से विलोपित किया जाता है। पूर्व प्रकाशित सूची में कुछ नई औषधियों को भी सम्मिलित किया गया गया। फलस्वरूप औषधियों की नई संशोधित सूची जारी करने का निर्णय लिया गया है। निर्णयानुसार संशोधित औषधियों की सूची वेब साईट पर जारी कर दी गई है।

बैठक में उठाये गये बिन्दुओं एवं उस पर SHSB द्वारा लिये गये निर्णय को SHSB के Website पर देने का निर्णय लिया गया, जिसकी सूचना सभी निविदादाताओं को Pre-bid Meeting के दौरान दे दी गयी है।

प्रदीप कुमार औषधि निरीक्षक औषधि नियंत्रण प्रशासन	हेमन्त कुमार सिन्हा अनुज्ञापन प्राधिकारी औषधि नियंत्रण प्रशासन	डॉ० डी० के० रमण अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	रवि पत्मार, भा०प्र०से० कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार